फर्द अहकाम

आमीरव बनाम राज सरकार

नाम न्यायालय ACEM(F.T.) शाहपुरा

केस संख्या 6/17

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	3/8/17	...वादी/प्रतिवादी उपस्थित P.O. साहब अनुपस्थित है। पत्रावली आइन्दा ...दिनांक 16-8-17 को पेश हो।
	28-8-17	आज यह पत्रावली मंत्रालयिक कर्मचारियों की सामूहिक अवकाश पर होने से नियत तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। श्रीमान P.O साहब. पत्रिका संपेठवन मे व्यस्त रहने से पत्रावली वास्ते पुर्व आदेशानुसार दिनांक 6-9-17 को पेश हो।
	6/9/2017	पत्रावली आज पेश हुई वकील वादी उपस्थित। ग्राम किशोरा तहसील शाहपुरा के साबिक आराजी खसरा नम्बर 768 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा थी जिसके हाल आराजी ख० नं० 1215, 1216, 1217 व 1218 बने है। आराजी खसरा नं० 768 साबिक के खातेदार नारायण पुत्र हरनाथ अहीर के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी। वर्ष 1992 मे आपसी बंटवारे मे वादी व तरमीमी प्रतिवादी के खातेदारी मे दर्ज हुई तथा खातेदार फूला पुत्र कुम्भा के द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान करने पर तरमीमी प्रतिवादी क्र० 4 व 5 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने से पक्षकार बनाया गया है। भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा साबिक ख.नं. 768 के नक्शा ट्रेस को हाल नक्शा ट्रेस मे तरमीम करते समय नक्शे के ठीक स्थिति को काट कर नक्शे मे फेरबदल कर दिया गया। भू प्रबन्ध विभाग को बिना अनुमति के साबिक नक्शा ट्रेस मे वर्तमान नक्शा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (...)
शाहपुरा जिला-... (राज.)

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

भागीरथ बनाम राजस्थान सरकार

न्यायालय ACEM (F.T.) शाहपुरा

संख्या 6/17 दीवानी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
6/9/17	ट्रैस मे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि वर्तमान सरहद वादीगण साबिक नक्शा ट्रैस के मुताबिक मौके पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। अप्रत्यर्थी विभाग के द्वारा साबिक नक्शा ट्रेस भूमि को हाल नक्शा ट्रेस एरिया में कम किया है जो दुरुस्ती योग्य होना बताया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार शाहपुरा को उक्त धारक के पास राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती करने से मना करने व किसी दीगर व्यक्ति को अलॉट व कब्जा दिलाने की धमकी देने से वाद पेश करना तथा प्रतिवादी सं0 1 लोक सेवक को पक्षकार मुकदमा करने से पूर्व 60 दिवस का नोटिस दिया जाने आवश्यक होने के सम्बन्ध मे दावा आपातमय प्रकृति का होने के कारण नोटिस अवधि मे व्यय की प्रकृति बदलने की सम्भावना होने से नोटिस की छूट बाबत धारा 80(2) CPC का प्रार्थना पत्र अदालत से प्रस्तुत किया जाकर वाद अनुमति वाद पत्र पेश किया गया है। वाद पत्र के अन्त मे निवेदन किया कि आराजी ख.नं. 1215 रकबा 1218 के राजस्व नक्शा ट्रेस के साबिक ख.नं. 760 के अनुसार दुरुस्ती किये जाने के आदेश प्रतिवादी सं0 1 को जारी किया जावे। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तरतीबी प्रतिवादीगण दिनांक 10/4/17 को उपस्थित आये जिनकी तरफ से कोई जवाब वाद पत्र पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी के सम्बन्ध मे सं0 1 के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 6406 दिनांक 13/7/2017 के द्वारा वाद पत्र के सम्बन्ध मे अपना जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादीगण वाद पर बहस प्रस्तुत	

फर्द अहकाम

आशीष बनाम राज्य सरकार

नाम न्यायालय ACEM(F.T.) शाहपुरा

केस संख्या 6/2017 574

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष टि
	6/9/18	रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी खतौनी फसली सं० 2008 से 2027 में ख.नं. 768 रकबा ।बीघा ।विस्वा स्थित मौजा नारायणपुरा हरनाथ भरी के नाम दर्ज थी। साबिक ख.नं. 768 के हाल ख.नं. 1215 से 1218 बने हैं यह मिलान क्षेत्रफल से जाहिर होता है। जमाबन्दी सं० 2048 से 2051 में आराजी के ... ख.नं. 1215, 1216, 1217 वादीगणों के पूर्वजों के नाम तथा 1218 शाहपुरा पुत्र हरदेव हिस्सा 2/3 व फूल पुत्र ... हिस्सा 1/3 के नाम दर्ज हुई है जिसको वादीगणों के पूर्वजों से खरीदने से राजस्व रिकार्ड में ... अनुसार ... के मुताबिक दर्ज होना पाया जाता है। साबिक ख.नं. 768 का राजस्व नक्शा ट्रेस तथा हाल ख.नं. 1215 से 1218 को राजस्व नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया गया। साबिक नक्शा ट्रेस के ख.नं. 768 की सीमा तथा वर्तमान ख.नं. 1215 से 1218 की सीमा में अन्तर पाया जाना साबित होता है। इस संबंध में साबिक नक्शे का अवलोकन करना तथा वर्तमान नक्शे में ख.नं. 1215 की दक्षिणी सीमा जो कि साबिक के अनुसार नहीं होना अर्थात ख.नं. 1215 हाल की दक्षिणी सीमा को बीच में ही काट दी गई है इससे जाहिर होता है कि सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान उपरोक्त आराजी का नक्शा ट्रेस सही नहीं बनाया गया है। दोनों नक्शों के अवलोकन से भी अन्तर स्पष्ट जाहिर होता है तथा वादी के द्वारा राजस्व रिकार्ड / खाते में कोई दुरुस्ती नहीं चाही गई है। वादिक भाग नक्शे जो साबिक में है उसके अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती हेतु यह वाद पेश किया गया है जो साबिक नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शा ट्रेस	

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

फर्द अहकाम

भागीरथ बनाम राज० सरकार

ालय ACEM (F.T.) शाहपुरा

या 6/2017 दावा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
6/9/17	में साबिक के अनुरूप दुरुस्ती किये जाने योग्य प्रतीत साबित होता है। इस प्रकार वादीगण के अधिवक्ता [illegible] नक्शे के अनुरूप हाल नक्शा दुरुस्त कराने हेतु यह वाद पेश किया गया है जो वादीगण के पक्ष में साबित है। अतः दावा वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1215, 1216, 1217, 1218 वाके ग्राम बिहारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के राजस्व नक्शा ट्रेस में साबिक ख० नं० 768 के अनुसार दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार शाहपुरा (अधिकारी) हाल बंदोबस्त नक्शे में साबिक नक्शे अनुसार दुरुस्ती (तरमीम) का पालना रिपोर्ट भिजवावे। फर्द डिक्री कि जारी हो। निर्णय आज दिनांक 6/9/2017 को सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	

Scanned with CamScanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

स्थान :– शाहपुरा   दिनांक :– 06.09.2017

पीठासीन अधिकारी :– श्री रवि विजय, (आर.ए.एस.)

उनवान

1. भागीरथ पुत्र स्व. मांगूराम
2. सत्यनारायण पुत्र स्व. मांगूराम
3. लादू पुत्र काना

समस्त जाति अहीर, निवासी देवी की ढाणी ग्राम बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

.................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

.................प्रतिवादीगण

2. नरसी पुत्र रामू
3. लेखुराम पुत्र रामू
4. घासीराम पुत्र बिरदूराम
5. महावीर पुत्र बिरदूराम
6. साधुराम पुत्र रामू

समस्त जाति अहीर निवासी देवी की ढाणी ग्राम बिदारा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

.....................तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती नक्शा ट्रेस व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 06/2017
निर्णय दिनांक :– 06.09.2017

दावा वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नंबर 1215, 1216, 1217, 1218 वाके ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के राजस्व नक्शा ट्रेस में साबिक खसरा नंबर 768 के अनुसार दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा (भूमिधारी) हाल राजस्व नक्शें में साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्ती (तरमीम) कर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 06/09/2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(रवि विजय)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	

Scanned with CamScanner